Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to take only one exame for group-D recruitment in Railways and release the students from jails arrested during NTPC result protest.

श्री राम कृपाल यादव (**पाटलिपुत्र**): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने का अवसर प्रदान किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । आपको पिछले दिनों का स्मरण होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए ग्रुप-डी और एनटीपीसी कैटगरी परीक्षा के संबंध में छात्रों में आक्रोश व्याप्त हुआ, इससे पूरा देश अवगत है ।

महोदय, रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप-डी और एनटीपीसी की परीक्षा के लिए 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा आवेदन आए । मैं इस बात से सहमत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का परीक्षा में भाग लेना अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है । परंतु छात्रों की नाराजगी प्रथम दृष्टतया में सही दिखती है । रेलवे भर्ती बोर्ड को 2019 में ग्रुप-डी की एक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित करने को कहा था, फिर उसने 24 जनवरी को अचानक दो परीक्षा लेने की घोषणा क्यों कर दी?

दूसरी बात यह है कि एनटीपीसी कैटगरी के अंतर्गत बीस गुना रिजल्ट जारी करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा, लेकिन ग्यारह गुना ही रिजल्ट निकला । उससे भी बड़ा आक्रोश का कारण बना । इसके साथ ही साथ एक छात्र का नाम तीन-तीन जगहों पर शामिल किया गया ।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्रुप-डी के लिए दो की बजाय एक परीक्षा ली जाए । एनटीपीसी परीक्षा के प्रकाशित परिणाम को एक छात्र एक रिजल्ट के आधार पर संशोधित परिणाम प्रकाशित किया जाए जिससे साढ़े तीन लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित होगा तथा रेलवे भर्ती बोर्ड की

घोषणा के अनुसार **20** गुना परिणाम भी घोषित हो सकेगा । हालांकि रेल मंत्री द्वारा इस मामले में एक अविलंब उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है । मैं इस निर्णय के प्रति माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं । कल पटना में छात्रों ने उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष अपनी बातें रखी हैं, जैसा निर्देशित था । मैं इस सदन के माध्यम से रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि इससे आक्रोश व्याप्त होने के बाद काफी हंगामा हुआ । बिहार के कई इलाकों में ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ ।

मैं निवेदन करूंगा कि छात्रों पर केस हो गया है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स पर भी केस हो गया है । मेरा अनुरोध होगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, बिहार सरकार या जो दूसरी सरकारें हैं, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रों पर से मुकदमा वापस लिया जाए और गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा करने का काम किया जाए । धन्यवाद ।